तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रागदयालदान पुत्र. श्री कानदानजाति चारण निवासी गांव साठिका तहसील नोखा जिला आदि बीकानेर : ब ना म : थानाधिकारी , पुलिस थाना पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर व बाबूलाल पुत्र श्री मघाराम जाति सुथार निवासी गांव साठिका तहसील नोखा जिला बीकानेर आदि किस्म मुकदमा राजस्व विविध (स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 23 व 411 सी.आर.पी.सी.) मुकदमा संख्या 06/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	: आदेश :	
28.01.19	1. उभय पक्ष के अभिभाषक हाजिर। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 23 व 411 सी.आर.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा में विचाराधीन प्रकरण सं. 373/18 उनवानी थानाधिकारी पांचू बनाम बाबूलाल, जस्सूदान आदि धारा 145 सीआरपीसी किसी अन्य सक्षम अधिकारीता के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे। 2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। 3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि तहसील नोखा के गांव साठिका में मंदिर व ओरण भूमि माताजी के वंशजो की संपत्ति है। वंशजो द्वारा निजि प्रन्यास का गठन 2006 से किया हुआ है। निजि प्रन्यास द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से ओरण भूमि पर हुए अतिकमणो को प्रशासन द्वारा दिनांक 24.03.18 को हटाया जा चुका है। थानाधिकारी पांचू द्वारा बिना किसी आधार के मंदिर को कुर्क किये जाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष धारा 145 सीआरपीसी का परिवाद प्रस्तुत कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका सं. 5415/2017 में उपखण्ड अधिकारी, पक्षकार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा प्रकरण का न्याय निर्णयन किया जाना विधि विरूद्ध हैं। अतः प्रकरण किसी अन्य सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे। 4. अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने विधिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा उक्त प्रकरण को सुनने के लिए सक्षम है। उक्त प्रार्थना पत्र बिना कारण दिये, बिना पक्षकार को सुने निरस्त किया जा सकता है। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थी को जिला न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। तत्कालीन उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थानान्तरित हो चुके है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जावे। 5. प्रकरण में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि थानाधिकारी पांचू द्वारा दिनांक 14.02.18 को उनके न्यायालनय में धारा 145 सीआरपीसी के तहत इस्तागासा पेश कर निवेदन किया कि करणी माता मंदिर की सेवा पूजा अर्चना को लेकर दो पक्षो में तनाव की स्थिति बनी है। दोनो पक्षो में अनेक मुकदमे दर्ज हो चुके है। शांति स्थापित करने के लिए मंदिर को कुर्क कर देवस्थान के अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जावे। प्रकरण वर्तमान में जैरकार है। अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।	131-32 29.1.19

जिला कलक्टर, बीकानेर

PTO

Scanned by CamScanner

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रामदयालदान पुत्र. श्री कानदानजाति चारण निवासी गांव साठिका तहसील नोखा जिला आदि बीकानेर

: ब ना म :

थानाधिकारी , पुलिस थाना पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर व बाबूलाल पुत्र श्री मघाराम जाति सुथार निवासी गांव साठिका तहसील नोखा जिला बीकानेर आदि

किस्म मुकदमा राजस्व विविध

(स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 23 व 411 सी.आर.पी.सी.)

मुकदमा संख्या 06 / 18

लगातार
28.01.19

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी. सिविल रिट (पीआईएल) पीटीशन नं. 5415 / 2017 सोहनलाल आदि बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा रेस्पोडेंट है। प्रकरण में प्रार्थीगण को भी यह संशय है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा उक्त रिट में पक्षकार होने के नाते उन्हे उचित न्याय नहीं मिल पायेगा। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार न्याय होना ही नहीं न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी. स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः धारा 411 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 373 / 2018 उनवानी थानाधिकारी पांचू बनाम बाबूलाल, जस्सूदान आदि पूर्व तारीख पेशी 01.06.18 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेड, श्रीडूंगरगढ़ को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष 11.02.2019 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्री डूंगरगढ़ के समक्ष उपस्थित हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा को आदेशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 373 / 18 नियत तिथी से पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्री डूंगरगढ़ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.19 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner